न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **प्रभा गौतम** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 75/2024 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 24.05.2024
G.C.M.S. NO. :- 2024/75

1–हजारीदास पिता तुलसीदार जाति वैष्णव, आयु व्यस्क निवासी मण्ड़पिया तहसील भदेसर

–निगराकारगण

बनाम

1–राधेश्याम पिता गोदू बंजारा निवासी गोपालपुरा, मण्डपिया तहसील भदेसर
2–ग्राम पंचायत मण्डपिया, तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डपिया, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़

–गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 17905 दिनांक 22.08.2023 द्वारा ग्राम पंचायत मण्डपिया, पंचायत समिति भदेसर

उपस्थिति : 1–श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता निगराकारगण
2–श्री बसन्तीलाल पोखरना, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1
3–श्री मोहम्मद रईस, अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2

:: निर्णय ::

दिनांक 23.03.2026

निगराकारगण द्वारा यह निगरानी इस आशय की प्रस्तुत की है अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष मे जारी आबादी भूमि का पट्टा संख्या 17905 दिनांक 22.08.2023 न्याय नियम एवं वाक्याति तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी सं. 1 ने विपक्षी सं. 2 के कार्यालय में मौजा मण्डपिया में सांवलियाजी से भादसोड़ा मुख्य सड़कर पर निगराकार के सहखातेदारी की आ.सं. 1935/437 रकबा 0.1575 हैक्टेयर जो कि निगराकार के सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर निगराकार व उसके सहखातेदार ने उक्त आराजियात का सक्षम प्राधिकारी से भू रूपांतरण आदेश प्राप्त कर आबादी में दर्ज करावाया। मुख्य सड़क के बीच में उक्त

आबादी भमि जो खांचापट्टी रही है व उसके पश्चात नाला 35 फीट चौड़ा अवस्थित है, जिसके पास निगराकार व सहखातेदार की कृषि भूमि अवस्थित रही है। उक्त आबादी भूमि के पास में विपक्षी सं. 1 व उसके परिवार का कोई आबादी भूखण्ड़ नहीं होते हुऐ

विपक्षी 1 ने 20 बाय 20 वर्गफीट भूखण्ड़ का आवेदन विपक्षकी संख्या 2 के कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में प्रस्तुत किया जिस पर विपक्षी संख्या 2 ने बिना निलामी की कार्यवाही किए उक्त भूखण्ड़ को खांचा भूमि होना मानते हुए धारा 156 पंचायत अधिनियम के नियम 167 (1) तहत कीमतन 1,29,600 / रूपये उक्त भूखण्ड़ के पडौस पूरब में रामलाल गुर्जर का कब्जा, पश्चिम में गोदू बंजारा का कब्जा, उत्तर में पूर्वी बरसाती नाला एवं दक्षिण में सांवलियाजी-भादसोडा मुख्य रोड़। उक्त चारों ही पडोस अंकित करते हुऐ पट्टा आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त किऐ जाने योग्य है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण को सूचना पत्र जारी किये गये। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। गैर निगराकार संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बसन्तीलाल पोखरना ने तथा गैर निगराकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रईस ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। ग्राम पंचायत, मण्डपिया से तलबीदा रेकार्ड प्राप्त होने एवं उभय पक्ष के अधिवक्ता के बहस हेतु सहमत होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगराकारगण ने कथन किया कि विपक्षी सं. 1 ने विपक्षी सं. 2 के कार्यालय में मौजा मण्डपिया में सांवलियाजी से भादसोड़ा मुख्य सड़कर पर निगराकार के सहखातेदारी की आ.सं. 1935/437 रकबा 0.1575 हैक्टेयर जो कि निगराकार के सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर निगराकार व उसके सहखातेदार ने उक्त आराजियात का सक्षम प्राधिकारी से भू रूपांतरण आदेश प्राप्त कर आबादी में दर्ज करावाया। मुख्य सड़क के बीच में उक्त आबादी भमि जो खांचापट्टी रही है व उसके पश्चात नाला 35 फीट चौड़ा अवस्थित है, जिसके पास निगराकार व सहखातेदार की कृषि भूमि अवस्थित रही है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत, मण्डपिया ने गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया वो अनियमितता पूर्ण कार्यवाही कर जारी करने से निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत, पंचायत अधिनियम की धारा 157 के तहत खांचा भूमि वहीं आवंटित की जा सकती है जहां पर आवेदक का भूखण्ड़ अवस्थित हो व खांचा भूमि के रूप में आवंटन योग्य हो। अधीनस्थ विपक्षी 2 ने उक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना खांचा भूमि के रास्ते की भूमि जो निगराकार की रूपांतरित भूमि में जाता है व मौके पर सड़क व नाले के सर्वेले को छोडने पर कोई भूमि शेष नहीं बचती है फिर भी बिना किसी आधार के विपक्षी संख्या 1 को कीमतन पट्टा आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है। अतः उक्त पट्टा विधि-विपरीत होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी संख्या 1 को विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी किये गये पट्टे वाला भूखण्ड़ खांचा पट्टी के रूप में नहीं रहा है और न ही खांचा भूमि के रूप में पट्टा जारी किया गया है इस कारण निगरानी निरस्तनीय है। खांचा पट्टी के रूप में कोई भूखण्ड़ आलोच्य पट्टा द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि आ.सं. 448 रकबा 0.49 है. भूमि में से विधि अनुसार जारी किया गया जिसकी कीमत 1,29,600/ एक लाख उन्तीस हजार छः सौ रूपये विधि अनुसार विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 पंचायत में जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई एवं आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 167 (1) राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के अंतर्गत आबादी भमि का विक्रय विलेख प्राप्त किया। जिसकी निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा दिनांक 20.09.2023 को दिया गया और उक्त पट्टे वाली भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु

अनापत्ति प्रमाण पत्र भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी किया और मिसल प्रमाण पत्र भी मय नक्शे के जारी किया गया है। नाला उक्त भूखण्ड़ के अतिरिक्त है। नाले से भूखण्ड़ का कोई संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत मण्डपिया विपक्षी संख्या 2 ने अपने अधिकार के

तहत नियम 167 (1) के अन्तर्गत जारी किया। जिसके तहत जो नियम उल्लेखित है उन नियमों के अनुसार पट्टा जैर निगरारी जारी किया जो पूर्णतः विधि सम्मत है। यदि निगराकार की कोई भूमि जो आबादी में दर्ज हुई हो, उससे पट्टा जैर निगरानी वाले भूखण्ड का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। केवल मात्र माननीय न्यायालय में भ्रम पैदा करने के गलत इरादे से जो इस संबंध में तथ्य वर्णित किये हैं वे अस्वीकार होकर निगरानी निरस्तनीय है। राजस्थान पंचायत राज नियम की धारा 157 के तहत खांचा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को नहीं किया गया वरन विपक्षी संख्या 2 ने अपने अधिकार की आबादी भूमि के भूखण्ड़ को विधि अनुसार नियम 167 (1) पंचायत राज नियम के अन्तर्गत 1,29,600/ अक्षरे एक लाख उन्तीस हजार छः सौ रूपये में भूखण्ड़ दिया है जो पूर्णतः विधि सम्मत है। विधि अनुसार आपत्तियां आमंत्रित की गयी और किसी की अपात्ति न होने पर विधि अनुसार पट्टा जारी किया है। विपक्षी संख्या 1 को जो भूखण्ड पट्टे पर दिया गया, उस भूखण्ड पर निगराकार की भूमि का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। निगराकार के लिए अपनी भूमि में जाने का रास्ता अन्यत्र दिशा में उपलब्ध है, जिससे विपक्षी संख्या 1 के भूखण्ड़ का कोई संबंध नहीं है सडक व नाले के मध्य भूमि शेष नहीं बचे रहने का तथ्य भी पूर्णतः अस्वीकार है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 2 का मुख्य कथन यह रहा कि निगराकारगण द्वारा विपक्षी सं. 2 द्वारा जारी किये गये पट्टे वाला भूखण्ड़ खांचा पट्टी के रूप में कभी नहीं रहा है और न ही खांचा पट्टी के रूप में पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि आ.सं. 448 रकबा 0.49 है. भूमि में से विधि अनुसार पट्टा जारी किया गया जिसकी कीमत 1,29,600/ विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 पंचायत में जमा कराई एवं आबादी भूमि का विक्रय विलेख नियम 167 (1) राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के अंतर्गत आबादी भूमि का विक्रय विलेख प्राप्त किया जिसकी निर्माण स्वीकृति ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा दिनांक 20.09.2023 को दिया गया और पट्टे वाली भूमि पर ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा जारी किया और मिसल प्रमाण पत्र भी मय नक्शे के जारी किया है। अतः निगरानी गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत होने से खारिज फरमाई जावे।

दौराने बहस अधिवक्ता निगराकार ने निवेदन किया कि उक्त जारी पट्टा नियमों के विपरीत होने व सड़क सीमा से 50 फीट की दूरी छोड़कर नहीं होने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ के द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डफिया के विरूद्ध कार्यवाही की जाने का प्रस्ताव भी अति. सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर को पत्रांक 1870 दिनांक 02.08.2024 से प्रेषित किया है। पुष्टि में दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां शामिल पत्रावली है। अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रश्नगत अपील के संदर्भ में हमने पट्टा पत्रावली, अपील, जवाब अपील एवं बहस में प्रस्तुत कथनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया :-

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness,

legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec. (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन /2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान के प्रावधान किये गये है। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 140 से 168 तक में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। हमने नियम 158 व 159 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

158. **Allotment of lands to weaker sections.-**

(1) The Panchayat may allot Abadi land up to [300 sq. yards]in village Abadis at concessional rate to members of Scheduled Caste, scavengers, Scheduled Tribes, Backward Classes, village artisans, landless persons dependent on wage labour, IRDP selected families, Handicapped, Nomatic Tribes, Gadia Lohar who do not own house sites/house and also to flood victims whose house have been washed away or the house sites have been rendered unfit for future habitation due to floods [and patta of such land may be issued in Form XXIII-C]

[IA. the Panchayat may allot abadi land upto [300 Sq. Yards] in village Abadi at concessional rate to ex-service men in bordering Panchayat Samiti areas.]

(1)	Rates to be charged from such allottees will be as under :		
	(a)	In villages having population less than 1000 (1991 census).	Rs. 2/- per sqr. mtr.
	(b)	In villages having population from 1001 to (1991 census).	Rs. 5/- per sqr. mtr. 2000
	(c)	In villages having population more than	Rs. 10/- per sqr. mtr.

	2000 (1991 census).	

Provided that the State Government may allot such lands free of charges to any such category of persons.

[Provided further that in case of allotment of abadi land to the families of below poverty line, the Panchayat may allot the land free of charge.]

[(2-A) The Panchayat may allot Abadi land upto 300 Sq. Yards free of charge to nomadic sheep reares.]

[(2-B) The State Government may allot Abadi land to oustees of irrigation project, equal to the house sites or house owned by them subject to maximum of 300sq. yards free of charge.]

(2) Abadi land allotted free of charge shall be non-transferable. A seal in block letters "NOT FOR SALE" shall be affixed on the face of all such Pattas. In case any allottee transfers on sells such house site/house to any other persons, allotment shall automatically stand cancellation, ownership shall vest in the Panchayat along with construction or material lying thereon and transferee will be ejected to trespasser on such Abadi Land.

[(3A) Thirty percent of Land allotted under this rule shall be allotted to widows and divorce women.]

(4) Panchayat may however by a resolution in the meeting, decide to allot such land by negotiation to such trespasser on market price on compassionate grounds.

(5) The allottee shall be debarred form any subsequent allotment in future

(6) Provisions contained in Sub-rules (3), (4) and (5) shall also be applicable for shop sites allotted to Scheduled Caste and Scheduled Tribes etc., in Panchayat areas.

(7) For allotment of houses sites to flood victims at another place/places, the Panchayat concerned shall invite applications from such persons along with an undertaking that in case of allotment of house sites at another place/places, the house sites washed away in flood aiong with material shall vest in the Panchayat concerned free from all encumbrances.

159. **Allotment of lands on concessional price.-**

(1) The Panchayat may allot plots up to 500 sq. yards from Abadi land available with to Ex-Service Military Personnel (Non-commissioned ranks) who do not own any Abadi land on priority basis, at 50% of the market price as mentioned in Sub-rule (5) of Rule 152.

[(2) The Panchayat may also allot plots upto 1500 sq. yards in abadi area, on priority basis, for construction of godowns/ offices to-

(i) Primary Agricultural Cooperative Society/Large Sized Multipurpose Marketing Society, at 50% of the Market price as mentioned in sub-rule (5) of Rule 152;

(ii) Gram Sewa Sahakari Samiti or Kray Vikary Sahakari Samiti, free of charge subject to confirmation by the State Government.]

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में नियम 140 से नियम 159 तक में भूखण्ड नीलामी के प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है, जो कि बाध्यकारी है। नियम 141 में प्रावधित किया गया है कि भूमि का विक्रय साधारणतया नीलमी के माध्यम से किये जायेगें जब तक की ऐसा ने करने के लिए विशेष कारण न हो। पंचायत ऐसी भूमियों का अग्रिम रूप से नियत किये गये निलामी कार्य्रक्रम के माध्यम से विक्रय करने का विनिश्चय कर सकेगी। नियम 142 के तहत आबादी के विकास के लिए भूमि पंचायत को अंतरित की जाये तो वह ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज्य विभाग में पदस्थापित नगर आयोजन के अधिकारी द्वारा जो सहायक

नगर आयोजनाकार से नीचे की रैंक का न हो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करायेगी। उसे विभाग के वरिष्ठ नगर आयोजनाकार द्वारा अनुमोदित किया जायेगा। आवासीय वाणिज्यिक क्षेत्रों और अन्य परियोजनाओं के लिए स्कीमें अनुमोदित विकास

योजना के अनुसार तैयार की जायेगी। ऐसी स्कीमों का क्रियान्वयन अनुमोदित प्लान के अनुसार ही किया जायेगा। नियम 143 में आबादी क्षेत्रों में भूखण्डों के नीलामी के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। नियम 145 के तहत आबादी भूमि या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए करेगा जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त हो। नियम 146 के तहत तीन पंचों की कोई समिति 15 दिवस के भीतर-भीतर स्थल का निरीक्षण कर आवेदित विक्रय की वांछनीयता को संबंध में पंचायत को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। नियम 147 के तहत पंचायत बैठक में अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करेगी कि प्रस्तावित विक्रय किया जाय या नहीं। नियम 148 के तहत पंचायत अनंतिम रूप से यह विनिश्चय करे कि विक्रय किया जाये तो वह उप-नियम 2 में अधिकथित रीति से प्रपत्र 22 में नोटिस प्रस्तावित विक्रय के संबंध में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। नियम 148 के तहत आमंत्रित आक्षेपों का नियम 149 के तहत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुऐ निपटारा किया जावेगा। नियम 150 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा विक्रय के लिए प्रस्तावित भूमि के किसी ऐसी तारीख को जो संकल्प के आदेश की तारीख से एक मास से पूर्व की न हो, और विनिर्दिष्ट किये जाने वाले समय और स्थान पर नीलाम का आदेश देगी। नियम 151 के तहत नीलामी समिति का गठन किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। नियम 152 के तहत बाजार कीमत का प्रावधान प्रावधित है। नियम 154 के तहत बोली की स्वीकृति विहित प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि किये जाने के अध्यधीन होगी। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 नियम 158 में भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत गांव आबादियों में 150 वर्ग गज की की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्गो के सदस्यों को, गांव कारगारों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनमें गृह-स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी। उप-नियम 2 में वसूली योग्य दरें प्रावधित की गई है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। उप-नियम 3 के तहत इस प्रकार आवंटित की गई आबादी भूमि अन्तरणीय होगी। ऐसे सभी पट्टों पर बडे अक्षरों में ''विक्रय के लिए नहीं'' की मुहर लगाई जायेगी। नियम 159 में भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायत उसमें उपलब्ध आबादी भूमि में से 500 वर्ग गज तक के भूखण्ड पूर्विकता के आधार पर भूतपूर्व सेना के ऐसे कर्मियों को (जो कमीशंड रैंकों के नहीं है) जिनके पास किसी भी आबादी भूमि में स्वयं का मकान नहीं है, नियम 152 के उप-नियम (5) में उल्लिखिति बाजार कीमत की 50 प्रतिशत पर आवंटित कर सकेगी।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत नियम 167 (1) में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ' नियम 153 में उपबंधितानुसार संदाय कर दिये जाने, नियम 154 में उपबंधितानुसार विक्रय की पुष्टि कर दिये जाने और नियम 166 के अधीन अपील, यदि कोई हो, निपटा दिये जाने, या यदि कोई भी अपील नहीं की गई हो तो उसके लिए विहित समय सीमा के समाप्त हो जाने के पश्चात आबादी भूमि के विक्रय का साक्ष्य देने वाला प्रारूप 23 में लिखा गया एक विलेख पंचायत की ओर से

निष्पादित किया जायेगा।' उक्त नियमों के नियम 161 –(2) (ग) में निर्देश हैं कि पंचायत 'राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों की मध्य रेखा से पचहत्तर फुट' एवं 161 –(2)(घ) में निर्देश हैं कि **'अन्य जिला सडकों और गांव की सडकों की मध्य रेखा**

से पचास फुट' की सीमाओं में न तो किसी आबादी भूमि का विक्रय करेगी न ही पक्का संनिर्माण अनुज्ञात किया जायेगा। उक्त तथ्यों के आधार पर गैर निगराकार संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24.07.2023 को पट्टा जारी करने की कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत, मण्डपिया द्वारा उक्त पट्टे से संबंधित प्रस्तुत अभिलेख/रेकार्ड का अवलोकन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार निगराकारगण ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत, मण्डपिया द्वारा उक्त विवादित पट्टा स्वयं की आबादी भूमि पर, बिना निलामी प्रकिया किये, पट्टे के पडौस एक किलोमीटर दूर बताऐ जाने, भूखण्ड़ बरसाती नाले व सडक के अटेच होना बताया है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर की उक्त रिपोर्ट दिनांक 18.06.2024 से जारी पट्टा सडक सीमा से निर्धारित दूरी नहीं छोड़कर जारी किया जाने की पुष्टि होती है।

निगराकारगण द्वारा अपनी निगरानी में यह तथ्य भी अंकित किया है कि गैर निगराकार संख्या 2 द्वारा तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना मौका निरीक्षण किये, पडौस एक किलोमीटर दूर अंकित कर दिये हैं, भूखण्ड़ बरसाती नाला व मुख्य सडक से अटेच होने से कोई भूमि खाली नहीं है। अधिवक्ता निगराकारगण यह साबित करने में सफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार संख्या 1 को गलत तरीके से नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत मण्डपिया पंचायत समिति भदेसर द्वारा विवादित पट्टा संख्या 17905 दिनांक 22.08.2023 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत मण्डपिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 17905 दिनांक 22.08.2023 जो कि गैर–निगराकार श्री राधेश्याम पिता गोदू बंजारा निवासी मण्डपिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भदेसर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 23.03.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़